



मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

—00—

क्रमांक / एफ-9/3/2003 / नियम / चार, भोपाल, दिनांक 13/04/2005
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर (म.प्र.)

विषय:- राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने
वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना।

-0-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के
अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 के पश्चात नियुक्त
कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाएगी। इस
योजना के लिये संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत प्राप्त सभी
शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा विरत्त नियम बनाये जा रहे हैं।

2/ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक
एफ-9/3/2005 / नियम / चार, दिनांक 2-4-2005 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(पेंशन) नियम 1976, में किये गये संशोधन के फलस्वरूप अब मध्यप्रदेश शासन के
अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त शासकीय कर्मचारियों व
अधिकारियों को दिनांक 1-1-2005 के पश्चात मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन)
नियम 1976 लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की
अधिसूचना क्रमांक एफ -5/1/2005 / नियम / चार, दिनांक 2-4-2005 के
अनुसार मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त
कर्मचारियों व अधिकारियों को मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे।

3/ परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये विरत्त नियम जारी होने तक
दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के
लिये प्रस्तावित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों का अंशदान
प्राप्त करने, शासन का अंशदान जमा करने एवं उसके लेखे के संधारण के लिये
निम्नानुसार अन्तरिम व्यवस्था लागू की जाती है :-


{1} प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा । उसके कार्यालय से वेतन पाने वाले दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी के मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटौती करेगा तथा अपनी रथापना से संबंधित ऐसे कर्मचारियों के मासिक अंशदान कटौती का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र में दर्ज कर वेतन देयक के साथ संलग्न करेगा ।

{2} कोषालय अधिकारी प्रत्येक माह महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना कटौती का विवरण प्रेषित करेगा ।

{3} परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन कटौती से प्राप्त धनराशि तथा शासन अंशदान की राशि लोक लेखा के रूप में रखी जायेगी ।

{4} अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त कर्मचारी अंशदान व शासन के अंशदान से प्राप्त धनराशि से संबंधित लोक लेखा के संधारण हेतु निर्देश महालेखाकार मध्यप्रदेश के परामर्श से पृथक जारी किये जा रहे हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(ए० पी० श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

वेतन देयक से कटौत्रा अंशदान दर्शाने वाला पत्रक

माह -----

(801)

सेवा का लेखा शीर्ष -----

जमा का लेखा शीर्ष : (800) बीमा तथा पेंशन निधियां
106 अन्य बीमा तथा पेंशन निधि
(0004) शासकीय कर्मचारी
अंशदान पेंशन योजना, 2005

| सरल क्रमांक 1 | कर्मचारी का नाम एवं पदनाम कर्मचारी के क्रमांक सहित 2 | कर्मचारी से अंशदान 3 |
|------------------|--|-------------------------|
| | | |

कार्यालय प्रमुख / आहरण संवितरण अधिकारी

प्रपञ्च

राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में जानकारी

| क्रमांक | विभाग/कार्यालय का नाम * | नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के पदनाम एवं वेतनमान | माह में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या | दिनांक 1.1.2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रगामी योग (Progressive total) |
|---------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | 1 2 3 4 5 |
| | | | | |

विभाग के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

* कृपया विभाग की संकलित जानकारी दी जाय।